कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना – 800001
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), BIRCHAND PATEL MARG, PATNA - 800001

No.L.A./ULB/ 438
दिनांक **/ Date:** 25.01.2012

DS(R)

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Vikas Bhawan, Beli Road,
Patna.

नगर विकास एवं आवास विभाग 30 JAN 2012 बिहार सरकार

Sir,

Audit Report No. **359/2011-12** on the accounts of **Nagar Panchayat, Kasba,** for the period **2008-09** to **2010-2011** is enclosed for your kind information and necessary action.

696/PS 01/2/12

Yours Sincerely,

25/01/12

Encl: - As above

S.O.-9

Audit Officer/ULB
Local Audit Wing,
Bihar, Patna.

6/2/12

7/2/12

(15)

नगर पंचायत 'कसबा' पूर्णिया वर्ष 2008–09 से 2010–11

1. **प्रस्तावनाः–**

नगर पंचायत, कस्बा के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 के लेखाओं का अंकेक्षण प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा, शाखा बिहार पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 08.11.11 से 12.11.11 तक की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासनः–**

क्रम सं0	अध्यक्ष का नाम	काल अवधि
1	श्रीमती रंजना देवी	01.04.08 से 08.10.09
2	श्रीमति रीता साह	29.12.09 से 31.03.11
क्रम सं0	उपाध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री कुमार उरॉव	01.04.08 से 31.03.11
क्रम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1	श्री देवेन्द्र कुमार दर्द	01.04.08 से 05.03.09
2	श्री मनोज कुमार	05.03.09 से 28.04.10
3	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	28.04.10 से 31.03.11

3. **अंकेक्षण का कार्यक्षेत्रः–**

अंकेक्षण में जॉच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूचि प्रतिवेदन के परिशिष्ट I में दर्शाया गया है।

जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या संचारित नहीं किया गया या अधूरा संधारित किया गया था को परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

4. **पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निस्तारण की स्थिति नीचे दी जा रही है।

क्रमांक	संदर्भित अंकेक्षण	1.04.08 को बकाया कंडिका	2008–09 से 2010–11तक निस्तारित कंडिका	31.03.2011 तक बकाया कंडिका
1	368/80–81	7	–	7

	वास्ते / 1979–80			
2.	113 / 85–86 वास्ते / 80–81 से 83–84	11	–	11
3.	103 / 88–89 वास्ते / 84–85 से 86–87	4	–	4
4.	73 / 91–92 वास्ते 87–88 से90–91	22	–	22
5.	159 / 2000–01 वास्ते 91–92 से 1999–00	40	–	40
6.	149 / 2008–09 वास्ते 2000–01 से 2008–09	26	–	26
	कुल	110	–	110

लेखा परीक्षा आपत्तियों की बढ़ती हुई संख्या लेखा परीक्षा के मूल उद्देश्यों के प्राप्ति में बाधक बनती है। कंडिकाओं को अनुपालन प्रविवेदन शीध्र तैयार कर उसे स्थानीय लेखा परीक्षक कार्यालय को सम्प्रेषित किया जाए।

5. लेखा परीक्षा की मुख्या उपलब्धियॉ:–

क्रम सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि
1	9	प्रशासनिक भवन निर्माण	2425000.00
2	12	बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना में अधिक भुगतान	2047.00
3	13	बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना	4534.47
4	14	बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना	160996.00
5	16	चापाकल योजना	247017.00
6	19	सैरात बंदोबस्ती का निबधन न कर राजस्व की हानि	6378.00
7	20	परवाना एवं शिक्षा उपकर की वसूली नही	55732.38
8	21	लेबर सेस की कटौती बही	21930.00
9	23	स्वास्थ्य उपकर की राशि राज्य कोष में जमा नहीं	19369.19

6. परिदृश्य:–

नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। इस कारण वार्षिक लेखे से मदवार आय–व्यय विवरण नहीं प्राप्त हो सका। अंकेक्षण द्वारा रोकड़ बही से मदवार आय–व्यय विवरणी तैयार की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

(15)

कम सं0	विवरण	2008–09	2009–10	2010–11
1	अर्थ शेष	7471826.11	9392518.11	12259156.11
2	आय	7744032.00	2945111.00	4006014.00
3	कुल	15215858.11	12337629.11	16265170.11
4	व्यय	5823340.00	78473.00	4035870.00
5	अन्त शेष	9392518.11	12259156.11	12229300.00

प्राप्ति एवं व्यय का मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट III में दिया गया है।

अंकेक्षण के द्वारा किये गये गणना के अनुसार दिनांक 31.03.11 का अन्त शेष ₹1,22,29,300.11 थी जबकि रोकड़ बही का इस दिन का अन्त शेष ₹1,13,97,673.11 थी। दोनों राशियों में ₹ 8,31,627.00 का अन्तर था। नगर पंचायत कस्बा ने जबाब में लिखा है कि रोकड़बही में अन्तशेष के अन्तशेष की जॉच करके अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

7. रोकड़बही की त्रुटियॉः–

नगर पंचायत कसबा का रोकड़बही सही ढंग से संधारित नहीं किया गया था। इसके संधारण में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गयी।

(1) रोकड़ बही निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं कर साधारण पंजी खरीदकर उसमें स्केल से कॉलम खींचकर बनाया गया था।

(2) रोकड़ बही में प्राप्तियों एवं व्ययों का वर्गीकरण नहीं किया गया था इससे प्राप्तियों एवं व्ययों का वर्गीकरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(3) ड्राफ्ट/चेक के क्लीयरेंस में काटे गये बैंक चार्जेज की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई थी।

(4) अगल–अगल वर्षों के लिए अलग रोकड़ बही नहीं तैयार कर कई वर्षों के लिए एक ही रोकड़ बही संधारित किया गया था। नगर पंचायत कस्बा ने जबाब में कहा कि रोकड़ बही की त्रुटियों को भविष्य में दूर कर लिया जाएगा।

उपरोक्त त्रुटियों का सुधार कर रोकड़ बही नियमानुसार संधारित किया जाये तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

8. अन्त शेषः–

अंकेक्षण में निकाले गये अन्त शेष (31.03.11) एवं नगर पंचायत कस्बा द्वारा संधारित किए गये विभिन्न ट्रेजरी/ बैंक खातों का अन्त शेष की राशियों में अन्तर था। विवरण निम्नलिखित है

(i) रोकड़ बही का दिनांक 31.03.11 है

अन्त शेष ₹12229300.11

(ii) विभिन्न खातों का दिनांक 31.03.11 को अन्त शेष

(क) ट्रेजरी पासबुक सं0– 84480010200101 का अन्त शेष ₹ 4852258.00

(ख) एस0 जे0 एस0 आर0 वाई0 पास बुक सं0–10502960954 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्बा का अंतिम अवशेष ₹1346801.72

(ग) बी0 आर0 जी0 एफ0 पासबुक सं0– 30410998327 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कस्बा का अन्त शेष ₹4433561.00

(घ) चालू खाता सं0–10502927305 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ,कस्बा का अंतिम अवशेष ₹ 850002.00

कुल ₹ 11482622.72 (क+ख +ग+घ)

अन्तर 12229300.11–11482622.72=746677.39

नगर पंचायत 'कसबा' ने जबाब मे कहा है कि अन्त शेष की समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।

अतः उरोक्त अन्तर ₹746677.39 का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

9. प्रशासनिक भवन निर्माण

वर्ष 2008–09 से 2010–11 के बीच प्रशासनिक भवन निर्माण योजना के लिए ₹ 21,62,875.00 राशि नगर पंचायत कसबा को आवंटित हुई थी। यह योजना 2007–08 की ही थी जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 38,50,500.00 थी। वर्ष 2007–08 की योजना 2010–11 अर्थात 3 वर्ष बाद भी पूरा नहीं हो पाया था जिस पर ₹ 24,25,000.00 31.03.11 तक खर्च किया जा चुका था। शेष राशि ₹ 2,62,115.00 पिछले साल के आवंटन से खर्च किया गया। व्यय से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित है

योजना सं0/वर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	व्यय की राशि	स्थिति	अभिकर्त्ता
02/07–08	प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य	38,50,500.00	24,25,000.00	अपूर्ण	श्री राम जनम सिंह कनीय अभियंता

योजना को पूर्ण करने कि दिशा में आवश्यक कदम उठाया जाय। नगर पंचायत कस्बा ने जबाब में कहा कि कार्य वर्ष 2011–12 में पूर्ण कर लिया गया है तथा कनीय अभियंता से अभिश्रव एवं मापी पुस्तिका लिया जा रहा है,व्यय से संबंधित दस्तावेज (मापी पुस्तिका, अभिश्रव, मास्टर लि0 इत्यादि) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।अतः अभिश्रव मापी पुस्तिका एवं संबधित अन्य दास्तावेज अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10.निरस्त

11. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत नगर पंचायत कसबा को वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक निम्नलिखित राशियाँ प्राप्त हुई।

2008–09	₹ 1618300.00
2009–10	₹ 26,10,550.00
2010–11	₹ 1617350.00
कुल ₹	5846200.00

उपरोक्त आवंटित राशि रू0 58,46,200/– के विरूद्व वर्ष 2008–09 में पॉच योजनायें कार्यान्वित की गई (परिशिष्ट IV) जिनपर 16,12,561 ₹ का व्यय किया गया। वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कोई योजना नहीं लियें जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर यह जबाब दिया गया कि वर्ष 2011–12 में उपरोक्त मद से योजनायें संचालित की जा रही है

अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्षवार योजनायें ली जायें जिससे योजनाओं का लाभ यथासमय प्राप्त हो सके।

12. बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना अन्तर्गत मिट्टी कार्य में अधिक भुगतान

योजना सं0–05/2008–09

योजना का नाम– वार्ड न0 3 में आर0 मो0 पथ से मोती ठाकुर के घर (कोशी धार) तक ईंट सोलिगं पथ निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि– ₹ 98,950.00

कुल भुगतान –₹ 98,522.00

अभिकर्त्ता का नाम– श्री ओम प्रकाश मॉझी टैक्स दरोगा सह रोकड़ पाल।

भुगतान का विवरण

24.01.2009	₹ 15000.00
03.02.2009	₹ 60000.00
18.02.2009	₹ 20506.00
सेल्स टैक्स	₹ 2378.00
रॉयल्टी	₹ 638.00
कुल	98522.00

योजना संचिका तथा अभिश्रवों के जॉच में निम्नलिखित त्रुटियॉ सामने आई। पीट्स मेजरमेंट के केस में मिट्टी कार्य में कुल कार्य का विटनेस पीलर से एवज में 10% घटाकर मजदूर दिवस की गणना की जाती है। परन्तु ऐसा नहीं किया जाय। विवरणी निम्न प्रकार है।

मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं0 6,7 एवं 10 के अनुसार मिट्टी कार्य = 25380 घनफीट

मजदूर दिवस = 25380 घनफीट / 110 घनफीट/मजदूर = 231

कुल भुगतान @ ₹ 89 प्रति मजदूर = 231X89=₹ 20559.00

वीटनेस पीलर का 10% घटाने के बाद अनुमान्य मिट्टी कार्य = 25380 घनफीट

10% = 22842 घनफीट

अनुमान्य मजदूर दिवस = 22842 घनफीट / 110 घनफीट/मजदूर =208

अनुमान्य भुगतान@ ₹ 89 = 208 X 89 =₹18512.00

अधिक भुगतान = 20559–18512=₹2047.00

अतः अधिक भुगतान ₹ 2047.00 को सम्बन्धित कनीय अभियन्ता से वसुलकर नगर पंचायत निधि में यथाशीघ्र जमा किया जाय।

नगर पंचायत कस्बा द्वारा जबाब दिया गया कि मामले की जॉच कार्यलय स्तर पर कराकर आवश्यक कार्यवाई की जाएगी। कार्यालय के जॉच प्रतिवेदन आने तक ₹ 2047.00 को माना जाता है।

(12)

13. **बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना :–नाली निर्माण कार्य में अधिक भुगतान**

योजना सं0 / वर्ष –04 / 2008–09

योजना का नाम– वार्ड नं0 5 में रामरूप बाबू के घर से हनुमान मंदिर तक नाली निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि–₹ 173000.00

कुल भुगतान – ₹171629.00

अभिकर्त्ता का नाम– श्री ओम प्रकाश मांझी, टैक्स दरोगा सह रोकड़पाल

भुगतान का विवरणी

31.12.08	₹ 15000.00
07.01.09	₹ 60000.00
23.01.09	₹ 50000.00
10.02.09	₹ 32220.00
सेल्स टैक्स	₹12067.00
रॉयल्टी	₹2342.00
कुल	₹ 171629.00

पी0 सी0 सी0 कार्य में गिट्टी की अधिक खरीद

मापी पुस्तिका पृष्ठ सं0 2 में PCC कार्य (1:2:4) = 225 घनफीट

मापी पुस्तिका पृष्ठ सं0 3 में PCC कार्य (1:2:4) =41.33 घनफीट

कुल = 266.33 घनफीट

खरीदी गई गिट्टी की मात्रा = 410 घनफीट

खरीदी गई गिट्टी की अनुमान्य मात्रा = 410–8.33%=375.85 घनफीट

375.85 घनफीट में हो सकने वाला PPC कार्य (1:2:4)

$$= 375.85 \times \frac{100}{90} = 417.62$$ घनफीट

किया गया वास्तविक कार्य = 266.33 घनफीट

अधिक हो सकने वाला कार्य की मात्रा = 417.62 –266.33 = 151.29 घनफीट

अतः अधिक खरीदी गई गिट्टी = $151.29 \times \frac{90}{100} = 136.17$ घनफीट

अतः अधिक खरीदी गई गिट्टी का मूल्य ₹ 33.30 प्रतिधन फीट = 33.30 प्रतिघनफीट

=33.30X136.17=4534.47.00

इस प्रकार अधिक खरीदी गई गिट्टी की राशि ₹ 4534.47 का सम्बन्धित कनीय अभियंता से वसुलकर नगर पंचायत निधि में जमा कराया जाय साथ ही इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

14. **बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना :–पथ निर्माण कार्य में अधिक भुगतान**

योजना सं0–01 / 2008–09

योजना का नाम– मतीन के घर से जावेद के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।

निधि– बी0 आर0 जी0 एफ0

प्राक्कलिति राशि –₹ 6,99,030.00

मापी पुस्तिका की राशि – ₹ 6,90,441.00

अभिकर्त्ता का नाम– श्री ओम प्रकाश मॉझी, टैक्स दरोगा सह रोकड़पाल।

भुगतान विवरणः–

11.12.08	₹ 15,000.00
17.12.08	₹ 300000.00
22.01.09	₹ 300000.00
12.02.09	₹ 28159.00
बिक्री कर	₹ 36190.00
रॉयल्टी	₹ 11092.00
कुल	₹ 690441.00

पी0 सी0 सी0 कार्य में अधिक भुगतान

पी0 सी0 सी0 कार्य देखने पर निम्नलिखित त्रुटियॉ सामने आई। अभिश्रव द्वारा खरीदी गई गिट्टी की मात्रा– 3125 घनफीट

खरीदी गई गिट्टी की अनुमान्य मात्रा = 3125833% =2864.70 घनफीट

2864.70 घनफीट मे हो सकने वाला पी0सी0सी कार्य (1:2:4)

$$= 2869.70 \frac{X\ 100}{90} = 3182.99 \text{ घनफीट}$$

मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं0 2 के मुताबिक कार्य (1:2:4)=2500 घनफीट
मापी पुस्तिका के पृष्ठ सं0 5 के मुताबिक कार्य (1:3:6) = 2193.75 घनफीट
दोनो कार्यों में लगने वाली गिट्टी की मात्रा

$$= \left(2500 \frac{x\ 100}{90}\right) + \left(2193.75 \frac{X\ 100}{94}\right)$$

= 2778+2333 = 5111 घनफीट

अधिक दिखाई गई गिट्टी की मात्रा = 5111–2864.700 =2246.30 घनफीट
2246.30 घनफीट गिट्टी से हो सकने वाला कार्य (1:3:6)

$$=2246.30 \times \frac{100}{94} = 2389.68 \text{ घनफीट}$$

= 67.59 घनमीटर

कुल अधिक भुगतान@ ₹2381.95 प्रति धनमीटर

= 67.59X2381.95 =160996.00

नगर पंचायत कस्बा द्वारा जवाब दिया गया कि विभागीय स्तर पर जॉच कर आवयक कार्यवाई की जाएगी।

15 सहाय अनुदान (अनुदान का अवरोधन)

सहाय अनुदान के अन्तर्गत नगर पंचयत कस्बा को वर्ष 2008–09 में निम्नलिखित राशियॉ प्राप्त हुई । सहाय अनुदान (पथों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार) 2008–09 ₹ 1500000.00

नगर पंचायत कस्बा के लेखाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–09 में प्राप्त राशि ₹ 30,00,000.00 के विरूद्व लेखापरीक्षा अवधि (08–09 से 2010–11 तक) के दौरान कोई योजना नहीं लिया गया था।

लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर योजनाओं को नहीं लिये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया तथा यह बताया गया कि वर्ष 2011–12 में योजना ली जा रही है

अतः सुझाव दिया जाता है कि योजनायें यथासमय नहीं लिये जाने हेतु जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाये तथा योजनाओं की राशि यथासमय योजनाये कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 चापाकल योजना

चापाकाल योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 5 ब/यो0 ज0 7–04/ 07–856 दिनांक 21.02.2008 को नगर पंचायत के 17 वार्डो में 34 चापाकल लगाने हेतु कुल ₹ 10,79,840.00 प्राप्त हुए।

वर्ष 2009–10 में योजना प्रारंभ की गई तथा श्री शाहिद सलीम, मधुबनी, पूर्णिया को सभी 34 चापाकल लगाने का संविदा दिया गया।

34 चापाकलों में से शाहिद सलीम द्वारा वर्ष 2010–11 में मात्र 13 चापाकल लगाया गया। 13 चापाकल लगाने के एवज में उन्हें (शाहिद सलीम) ₹ 2,47,017.00 का भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

कम सं0	योजना सं0 / वर्ष	योजना का नाम	अभिकर्त्ता	प्राक्कलित राशि	व्यय की राशि	स्थिति
01	01/2009–10	माननीय विधायक के अनुशंसा पर इंडिया मार्का 3 का चापाकल लगाने का कार्य	श्री शाहिद सलीम मधुबनी पूर्णिया	10,26,086.00	2,47,017.00	अपूर्ण

			कुल	10,26,086.00	2,47,017.00	

श्री शाहिद सलीम को दिनांक 23.08.2011 (प्रत्रांक 218) को नगर पंचायत द्वारा शेष वार्डो में चापाकल लगाने हेतु स्मारित किया गया परन्तु उनके द्वारा शेष चापाकल नहीं लगाया गया।

इस प्रकार योजना अपूर्ण इस सम्बन्ध में नगर पंचायत अधिकारियों का यह जबाब कि योजना को पूर्ण करने के लिए अभिकर्त्ता से सम्पर्क किया जा रहा है अपर्याप्त है।

अतः नगर पंचायत कसबा को यह सुझाव दिया जाता है कि शेष चापाकल लगाने की योजना कार्यान्वित किये जाने हेतु ठोस कदम उठाया जाये। अभिकर्त्ता को भुगतान किये गये राशि से संबंधित दास्तावेज लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः मुझे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने तक भुगतान किये गये कुल राशि ₹2,47,017 को अंकेक्षण के अधीन रखा जाता है।

17. <u>मोबाईल टावरों के पास बकाया राशि</u>

नगर पंचायत कसबा के क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर कुल आठ मोबाईल टावर लगे हुए थे। इनपर वर्ष 2010–11 तक कुल ₹18,40,000.00 (अठारह लाख चालीस हजार) रूपया बकाया था। (परिशिष्ट– V)बकाया राशि के उत्तर में नगर पंचायत अधिकारियों का उत्तर था कि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय,पटना में विचाराधीन है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि मोबाईल टावरों पर बकाया राशि के वसुली के संबंध में उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में कार्यवाई की जाये।

18.<u>स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बलः–</u>

नगर विकास विभाग के पत्रांक 6678 दिनांक दिसम्बर 1979 के अनुसार नगर पंचायत का स्वीकृत बल था।इसके विरूद्ध वर्ष 2010–11 में मात्र 4 कर्मचारी कार्यरत थे। विस्तुत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
1	प्रधान लिपिक सह लेखापाल	01	शून्य	01
2	टैक्स दरोगा सह रोकड़ पाल	01	01	शून्य
3	कार्यालय आदेश पाल	01	01	शून्य
4	सफाई जमादार	01	01	शून्य
5	मेहतर/मेहतरानी	05	01	04
	कुल	09	04	05

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल की संख्या आधी से भी कम थी ।प्रधान लिपिक सह रोकड़पाल के नहीं रहने से लेखाओं का रख–रखाव एवं संधारण समुचित नहीं था।साथ ही मेहतर/मेहतरानी के कमी के कारण सफाई व्यवस्था की अत्यधिक दयनीय थी।

लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर नगर पंचायत द्वारा प्रत्युत्तर में बताया गया कि खाली पदों को भरने के लिए सरकार से पत्राचार किया जा रहा है।

अतःराज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि रिक्त पदों को भरने के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाना अपेक्षित है।

19.निबंधन शुल्क की वसुली नहीं होने से राजस्व की हानिः–

राज्य सरकार के पत्रांक सं0 1920/Re/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई0 जी निबंधन ,बिहार सरकार के पत्रांक संख्या 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में किए गये कुल बन्दोबस्ती पर 3010 स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 में सैरातों का बन्दोबस्ती नगर पंचायत द्वारा किया गया परन्तु किसी भी बन्दोबस्ती का निबंधन स्टाम्प शुल्क पर नहीं किया गया। इस कारण राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क मद में ₹ 6378.00 की हानि हुई। विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	सैरातो का नाम	वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि	स्टाम्प शुल्क @3%	स्टाम्प शुल्क मद में राशि
1	बस पड़ाव(टेम्पो स्टैण्ड)	09–10	92,100.00	2763.00	2763.00
2	''	10–11	1,20,500.00	3615.00	3615.00
		कुल	2,12,600.00	6378.00	6378.00

अतः राशि ₹6378.00 की वसुली जिम्मदार व्यक्तियों से कर राज्य सरकार के सम्बन्धित कोष में जमा किया जाय तथा इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

नगर पचायत करबा ने जवाब में भविष्य में सभी तरह के स्टाम्प के बन्दोबस्ती स्टाम्प पर करने की बात कही है जो कि मान्य नहीं है अतः ₹ 6378.00 संबंधित एवं जिम्मेदार व्यक्तियों से वसुलनीय है।

20.शौच कर एवं शिक्षा उपकर की वसुली नहीं:–

1.नियमानुसार नगर पंचायत क्षेत्र के निम्नलिखित दरों से मकान कर,जल कर,आदि वसुलने का निर्देश है।

मकान कर –2.5%

जल कर–2.0%

पखाना कर–2.0%

शिक्षा उपकर–1.25%

स्वास्थ्य उपकर–1.25%

नगर पंचायत के रिकार्डो के जाँच से पता चला कि केवल मकान कर एवं स्वास्थ्य उपकर ही वसुला जा रहा था। पखाना कर एवं शिक्षा उपकर नहीं वसुला जा रहा था। वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक कुल मकान कर ₹42726.34 एवं स्वास्थ्य उपकर 21551.32 वसुला गया अर्थात पखाना कर ₹ 34181.07 एवं शिक्षा उपकर ₹ 21551.32 नहीं वसुला गया। इस प्रकार नगर पंचायत को ₹ 55732.38 का नुकसान हुआ। जल कर नहीं वसुलने का कारण नगर पंचायत द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं किया जाना बताया गया वसुली नहीं किये गये पखाना कर एवं शिक्षा उपकर की राशि की वसुली यथाशीध्र जिम्मेवार व्यक्ति से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

2.करों का पुर्ननिर्धारण नहीं :–

मौखिक रूप से बताये गये सूचना के अनुसार वर्ष 1979–80 के बाद करों का पुननिर्धारण नहीं किया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि करों का निर्धारण यथाशीघ्र किया जाये, जिससे नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

नगर पंचायत कस्बा द्वारा जवाब में कहा गया कि बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर पखाना कर एवं शिक्षा उपकर वसुला जाएगा तथा करों का पुर्न निर्धारण किया जाएगा।

21.कार्यान्वित से लेबर सेस की कटौती नहीं:–

बिहार सरकार,श्रम संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 38 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार कार्यान्वित की गई योजनाओं के कुल राशि का 1% लेबर सेस के रूप में कटौती कर (संवेदक के विपत्र से) उसे श्रम एवं नियोजन विभाग के खाते में करना है जिससे मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा सकें। 1 % लेबर सेस नहीं काटे जाने की स्थिति में लेबर सेस की राशि का 2 % रकम प्रति महिना की दर से विलम्ब शुल्क की व्यवस्था है।

नगर पंचायत की B.R.G.F. योजनाओं की संचिकाओं के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि किसी भी योजना में लेबर सेस की कटौती नहीं की गई थी। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट VI में दिया गया है। नगर पंचायत कस्बा द्वारा जवाब में दिया गया कि भविष्य की योजनाओं में लेबर सेस की कटौती की जाएगी। उपरोक्त कंडिका के संबंध में जवाब संतोष जनक नही है अतः ₹ 21930.00 वसुलनीय है।

लेबर सेस एवं उसपर विलम्ब शुल्क की कुल राशि ₹ 21930.00 सम्बन्धित/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसुलकर श्रम एवं नियोजन विभाग के खाते में जमा किया जाय और अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

22 निर्गत किये गये जो डेबिट नहीं हुए

लेखापाल रोकड़ बही को बैंक स्टेटमेंट से मिलान करने के क्रम में पाया गया कि कुल ₹11,000.00 के 7 चेक ऐसे थे जो निर्गत किए गये परन्तु डेबिट नहीं हुए। विस्तृत विवरण संलग्न परशिष्टि VII मे दिया गया है। अतः उपरोक्त चेकों का डेबिट अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

नगर पंचायत कस्बा द्वारा बताया गया कि समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाएगा।

23 स्वास्थ्य उपकर की राशि सरकार के कोष में जमा नहीं

बिहार स्वास्थ्य उपकर नियमावली, 1972 के अनुसार स्वास्थ्य उपकर की राशि वसुलकर इस राशि का 10% वसुली व्यय अपने पास रखकर शेष राशि राज्य सरकार के सम्बन्धित कोष में जमा करना हैं। प्रदत्त ऑकडों के अनुसार 2008–09 से 2010–11 तक स्वास्थ्य उपकर की कुल जमा राशि = 21,551.32(–) 10% –2,55=13 प्रेषण योग्य राशि =₹19396.19 परन्तु नगर पंचायत द्वारा ₹ 19396.19 राज्य के सम्बन्धित शीर्ष में नहीं जमा किया गया। अतः इस राशि को यथाशीघ्र सम्बन्धित शीर्ष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय। नगर पंचायत कस्बा द्वारा जबाब में सरकार से पत्राचार कर आवश्यक कार्यवाई करने की बात की गई है।

24 <u>अंकेक्षण के परिणाम</u>

(1) राशि वसुलने हेतु सुझावः–₹2,51,630.85

(2) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन राशिः–247017.00

(3) अंकेक्षण के दौरान जमा राशिः–शून्य

(विवरण परिशिष्ट – VIII पर)

25 <u>कार्यकारिणी से विचार विमर्शः–</u>

अंकेक्षण में उठायी गई आपत्तियो के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्षा, उपाध्यक्ष से विचार विमर्श किया गया।

26 <u>समान्य अभियुक्तिः–</u>

नगर पंचायत कार्यालय के अभिलेखों की भलीभांति संधारित नही किया गया था। अभिलेखों का उचित संधारण नियमित रूप से किया जाय। गृहकर का 1979–80 के बाद अब तक पूर्नमूल्यांकन नही हुआ है। जबकि बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के धारा 106 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्षो पर गृहकर मूल्यांकन करने का प्रावधान है।

अतः संबंधित उपबंधो के आलोक में नई मूल्यांकन का पुनरीक्षण करने हेतु प्रभावी कार्यवाई की जाये। संग्रह लेखाओ पर कड़ी नजर रखी जाय।

स0 ले0 प0 अ0

राहुल कुमार

स्था0 ले0 प0/श0 स्था0 नि0/437 दिनांक : 25.01.12

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत कसबा (पूर्णियाँ) को अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इस प्रतिवेदन के प्राप्ति के तीन माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन उचित माध्यम से स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार ,पटना को प्रेषित करेंगें।

ह0/-

लेखा परीक्षा अधिकारी

श0 स्था0 नि0

ज्ञापांक:– स्था0 ले0 प0 /श0 स्था0 नि0/438–439 दिनांक : 25.01.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रसारित:–

1. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार ,पटना
2. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ, बिहार
3. स0 ले0 प0 अ0 अधिभार

25/01/12

लेखा परीक्षा अधिकारी,

श0 स्था0 निकाय

परिशिष्ट I

अभिलेखों एवं पंजियों की सूची जिन्हें अंकेक्षण में जाँच हेतु उपस्थित किया गया।

(कंडिका 3 में उल्लेखित)

1. लेखापाल रोकड़ बही।
2. चेक पत्र।
3. ट्रेजरी पासबुक। बैंक स्टेटमेंट। बैंक पासबुक।
4. केशियर कैशबुक।
5. ~~अस्थ~~ होल्डिंग सग्रह रसीद।
6. होल्डिंग रसीद का दैनिक पंजी।
7. निविदा रसीद।
8. भंडार पंजी।
9. निविदा बन्दोबस्ती अभिलेख।
10. द्वादश वित्त, बी० आर० जी० एफ० योजना अभिलेख।

राहुल कुमार
(signature with date)

परिशिष्ट II

अभिलेखों एवं पंजियों की सूची जिन्हें अंकेक्षण में उपस्थित नहीं किया गया। (कंडिका 3 में संदर्भित)

1. माँग एवं वसूली पंजी गृहकर / स्वास्थ्य उपकर।
2. माँग एवं वसूली पंजी खतरनाक व्यापार।
3. सरकार लेजर गृहकर आदि।
4. प्रोग्रेस स्टेटमेंट गृहकर आदि।
5. बजट
6. अनुदान पंजी
8. ऋण विनियोग पंजी।
9. ऋण अदायगी पंजी।
10. सम्पत्ती पंजी।
11. नये निर्मित भवन पंजी।
12. त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा पंजी।
13. वेतन पंजी।
14. भविष्यनिधि
15. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पंचिका

[illegible signature]

नगर पंचायत कसबा, पूर्णिया [३२] (कोटेशन उद्धृत) 87
परिशिष्ट III

वित्त

क्रम सं०	विवरण	वर्ष 2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	प्रारंभिक शेष	74,71,826=11	[79,54,643=11] 93,92,518.11	[1,08,21,281=11] 1,22,59,156.11
2.	प्राप्ति			
(i)	वेतन मद	1,17,800=00	शून्य	1,50,389=00
(ii)	12वीं वित्त आयोग	4,59,507=00	शून्य	शून्य
(iii)	बी० आर० जी० एफ०	16,18,300=00	26,10,550=00	16,63,350=00
(iv)	कबीर अंत्येष्टि योजना	51,000=00	51,000=00	1,84,500=00
(v)	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	40,000=00	20,000=00	1,20,000=00
(vi)	सहाय अनुदान (पथों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार)	15,00,000=00	शून्य	शून्य
(vii)	सहाय अनुदान (नालो का निर्माण एवं जिर्णोद्धार)	15,00,000=00	शून्य	शून्य
(viii)	प्रशासनिक भवन निर्माण	21,62,875=00	शून्य	शून्य
(ix)	ई.जम आर्थिक गणना	13,500=00	शून्य	शून्य
(x)	मुख्य/उप मुख्य पार्षद का भत्ता	72,600=00	शून्य	[illegible]
(xi)	सूद (ब्याज)	72,828=00	61,620=00	1,33,909=00
(xii)	नगर प्रबंधक का मानदेय	शून्य	शून्य	1,40,000=00
(xiii)	आपदा वितरण	शून्य	शून्य	11,36,100=00
(xiv)	राशन कार्ड	शून्य	शून्य	14,791=00
(xv)	जनगणना	शून्य	शून्य	3,53,800=00
(xvi)	स्वयं के स्रोतों से आय	1,35,622=00	2,01,941=00	95,670=00
	कुल प्राप्ति	77,44,032=00	29,45,111=00	40,06,014=00
3.	कुल (1+2)	1,52,15,858=11	[1,08,99,754=11] 1,23,37,629.11	[1,48,27,295.11] 1,62,65,170.11
4.	व्यय			
(i)	वेतन मद	1,17,800=00	शून्य	2,42,647=00
(ii)	12वीं वित्त	10,98,367=00	शून्य	शून्य
(iii)	बी० आर० जी० एफ०	15,79,883=00	शून्य	शून्य
(iv)	कबीर अंत्येष्टि योजना	51,000=00	51,000=00	3,24,000=00
(v)	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	40,000=00	15,000=00	1,20,000=00
(vi)	प्रशासनिक भवन निर्माण	24,15,000=00 [38,62,875=00]	शून्य	शून्य

P.T.O.

	2	3	4	5
(vii)	आडिट ज्ञापन	13,500=00	शून्य	शून्य
(viii)	मुख्य/उप मुख्य पार्षद का भत्ता	शून्य	शून्य	1,19,000=00
(ix)	नगर प्रबन्धक का मानदेय	शून्य	शून्य	1,24,515=00
(x)	आपदा प्रबन्धन	शून्य	शून्य	21,65,400=00
(xi)	राशन कार्ड	शून्य	शून्य	14,796=00
(xii)	जनगणना (प्रथम चरण)	शून्य	शून्य	5,58,400=00
(xiii)	राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना	3,50,865=00	शून्य	शून्य
(xiv)	एस० जे० एस० आर० वाई०	93,750=00	शून्य	शून्य
(xv)	विधायक योजना	शून्य	शून्य	2,47,017 [12,47,014=00]
(xvi)	विविध	53,175	12,473=00	20,075=00
	कुल	[72,61,215=00] 58,23,340=00	78,473=00	40,35,870=00
5.	अन्त शेष (3-4)	[79,54,643=11] 63,92,518.11	[1,08,21,281=11] 1,22,59,156.11	[1,07,91,425=11] 1,22,29,300.11

राहुल कुमार
उपजिलाधिकारी (पं०)

परिशिष्ट IV (35) 18 नगर पंचायत, कसबा (कंडिका 11 में उद्धृत)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के योजनाओं की विवरणी

क्र०	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	31.03.2011 तक व्यय की गई राशि	भौतिक स्थिति	अभिकर्ता
01.	01/2008-09	मतीन के घर से जावेद के घर तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य।	6,99,030=00	6,90,441=00	पूर्ण	श्री ओम प्रकाश माँझी, टैक्स दरोगा सह रोकड़पाल
02.	02/2008-09	कसबा रेलवे गुमटी (उत्तर तरफ वाला रोड में वार्ड न०-1 में राम सिंह के घर से प्रा० वि० फूलवरिया स्कूल तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग	4,07,600=00	4,07,600=00	"	"
03.	03/2008-09	वार्ड न०-2 नगर पंचायत कसबा अंतर्गत कोशी कॉलनी से अरुणा के घर तक ईंट सोलिंग पथ निर्माण कार्य।	2,45,400=00	2,44,369=00	"	"
04.	04/2008-09	वार्ड नं०-5 में रामरूप बाबू के घर से हनुमान मंदिर तक नाली निर्माण कार्य।	1,73,000=00	1,71,629=00	"	"
05.	05/2008-09	वार्ड न०-3 में आर० सी० पथ से मोती ठाकुर के घर तक/(कोशी धार) ईंट सोलिंग का निर्माण कार्य।	98,950=00	98,522=00	"	"
		कुल	16,23,980=00	16,12,561=00		

राहुल कुमार
कार्य० पदा० (प्र०)

कुल ⇒ 16,23,980=00   16,1..

लेबर सेस @ 1% = 16,125=00

(37)

पत्र, कसबा ... [illegible] (कंडिका 11 में दर्ज)

परिशिष्ट - V (36)

नगर पंचायत कसबा, पूर्णिया

मोबाईल टावर के पास बकाया राशि

(कंडिका 17 में उद्धृत)

क्र० सं०	टावर का स्थान	ऊँचाई	दर प्रति मीटर प्रति वर्ष	वार्षिक किराया	बकाया अवधी	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेहरु चौक, कसबा (BHNZ5701)	55 मी०	2000=00	1,10,000=00	2007-08 से 2010-11	4,40,000=00
2.	कसबा, फुलवरिया, हाट (QBHUNG 0284)	50 मी०	2000=00	1,00,000=00	2009-10 से 2010-11	2,00,000=00
3.	मदरसा, चौक, कसबा (QBHUNG0285)	"	"	"	"	2,00,000=00
4.	टी गाच्छी, वार्ड नं० - 4	"	"	"	"	2,00,000=00
5.	कॉलेज चौक, कसबा, वार्ड नं० - 2	"	"	"	"	2,00,000=00
6.	रानी सती चौक, कसबा वार्ड नं० - 2	"	"	"	"	2,00,000=00
7.	आर्दश नगर हाट, कसबा वार्ड नं० - 8.	"	"	"	"	2,00,000=00
8.	रानी सती चौक, कसबा, निकट कसबा प्रखण्ड	"	"	"	"	2,00,000=00
					कुल	18,40,000=00

[illegible] (हस्ताक्षर)